



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 29 अक्टूबर, 2025

कार्तिक 7, 1947 शक सम्वत्

प्रारूप-19

[नियम 27 का उपनियम (1)]

समुचित सरकार/कलेक्टर द्वारा घोषणा

[अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत]

उत्तर प्रदेश सरकार

अधिसूचना संख्या 765/आठ-अ०जि०अ०(भू०अ०)/आरआरटीएस/गाजियाबाद

गाजियाबाद, 29 अक्टूबर, 2025

अधिसूचना

प०आ०-212

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना अन्तर्गत सम्पर्क मार्ग दुहाई डिपो तथा दुहाई स्टेशन पर सर्विस रोड हेतु जिला गाजियाबाद, तहसील गाजियाबाद, परगना जलालाबाद अन्तर्गत ग्राम-दुहाई स्थित 2.3027 हेक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या-735/आठ-अ०जि०अ०(भू०अ०)/आरआरटीएस/गाजियाबाद दिनांक 30 अक्टूबर, 2024 को निर्गत की गई थी तथा अन्तिम रूप से दिनांक 5 नवम्बर, 2024 को समाचार-पत्र दैनिक जागरण एवं अमर उजाला में प्रकाशित की गयी थी। अधिसूचना के अंग्रेजी संस्करण का संशोधन दिनांक 13 जनवरी, 2025 को किया गया, जिसका समाचार-पत्र दैनिक जागरण एवं अमर उजाला दिनांक 14 जनवरी, 2025 में किया गया। डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेंट कलेक्टर सदर, गाजियाबाद को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया गया था।

अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त धारा 19 (1) के अन्तर्गत राज्यपाल घोषणा करने का निर्देश देते हैं कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची "क" में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है।

राज्यपाल अग्रेतर निदेश देते हैं कि अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रभाव की घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना के सारांश के प्रकाशन हेतु गाजियाबाद कलेक्टर को निर्देशित करते हैं। पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश इसके साथ संलग्न है।

“अनुसूची-क”

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
गाजियाबाद	गाजियाबाद	जलालाबाद	दुहाई	66	0.2980
				68	0.1052
				69	0.0550
				77	0.4870
				78	0.1417
				84	0.5763
				130	0.0453
				131	0.0310
				132	0.0456
				137	0.0709
				138	0.1217
				139	0.0042
				140	0.0511
				141	0.0770
				161	0.1234
				217	0.0001
				315 / 1502	0.0184
				316	0.0129
				327	0.0284
				328	0.0055
				528	0.0040
योग				2.3027	

“अनुसूची-ख”

(विस्थापित परिवारों के लिये व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	पुनर्वासन हेतु चिन्हित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6
----- लागू नहीं -----					

टिप्पणी:—उक्त भूमि का स्थल नक्शा गाजियाबाद के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

आज्ञा से,
रविन्द्र कुमार माँदड़,
समुचित सरकार / जिलाधिकारी, गाजियाबाद।

कलेक्टर द्वारा घोषणा की अधिसूचना

[अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के अन्तर्गत]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना अन्तर्गत सम्पर्क मार्ग दुहाई डिपो तथा दुहाई स्टेशन पर सर्विस रोड हेतु जिला गाजियाबाद, तहसील गाजियाबाद, परगना जलालाबाद अन्तर्गत ग्राम दुहाई स्थित 2.3027 हेक्टेयर भूमि के लिये प्रकाशित अधिसूचना संख्या-735/आठ-अ0जि0अ0 (भू0अ0) / आरआरटीएस / गाजियाबाद दिनांक 30 अक्टूबर 2024 के क्रम में मेरे द्वारा घोषणा का प्रकाशन कर दिया गया है तथा सरकारी अधिसूचना के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश संलग्न कर दिया गया है। पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश निम्नवत् है:-

उक्त परियोजना के निर्माण से दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ के शहरी समूह में सस्ती, विश्वसनीय, सुरक्षित और निर्बाध परिवहन प्रणाली की निरंतर उपलब्धता एवं दुर्घटनाओं, प्रदूषण, यात्रा के समय, ऊर्जा की खपत और असामाजिक घटनाओं को कम किया जा सकेगा। स्थिरता और क्षेत्रीय विकास के लिए शहरी विकास और भूमि उपयोग को नियंत्रित किया जा सकेगा तथा एनसीआर के भीतर लोगों और सामानों की कुशल आवाजाही के नियोजित विकास के लिए महत्वपूर्ण है। उक्त परियोजना हेतु ग्राम दुहाई, तहसील गाजियाबाद, जनपद गाजियाबाद में 2.3027 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण के कारण लगभग 94 परिवारों के प्रभावित होने की सम्भावना है जिनमें से 10 कुटुम्बों का आवासीय या व्यवसायिक विस्थापन होने की सम्भावना है। परियोजना से प्रभावित कुटुम्बों के सम्बन्ध में पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना तैयार की गई है जिसका सारांश निम्न प्रकार है:-

भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाओं हेतु प्रतिफल की गणना भू-अर्जन अधिनियम-2013 की सुसंगत धाराओं एवं अनुसूची-1 के अनुसार की जायेगी।

- पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन लाभों की गणना अधिनियम, 2013 की अनुसूची-2 के अनुसार की जायेगी।
- प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब को पाँच लाख रुपये की एक मुश्त धनराशि वार्षिकी या नियोजन के विकल्प के रूप में प्रदान की जायेगी।
- प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब को पचास हजार रुपये की एक मुश्त धनराशि पुनर्वास भत्ते के रूप में प्रदान की जायेगी।
- प्रत्येक विस्थापित कुटुम्ब को परिवहन लागत आदि के लिए पचास हजार रुपये की स्थानांतरण सहायता राशि प्रदान की जायेगी।
- भूमि अर्जन के कारण दुकान (व्यवसाय) खोने वाले सभी प्रभावित कुटुम्ब को दुकान के पुनर्निर्माण हेतु रुपया पच्चीस हजार सहायता राशि दी जायेगी।
- प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब को 12 माह की अवधि तक तीन हजार रुपये प्रतिमाह की दर से जीवन निर्वाह अनुदान प्रदान किया जायेगा।

1-उपरोक्त पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का क्रियान्वयन 18 माह की अवधि में करा लिया जायेगा।

2-उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में भूमि अर्जन के उद्देश्य से देखा जा सकता है।

आज्ञा से,

रविन्द्र कुमार माँदड़,

समुचित सरकार/ जिलाधिकारी, गाजियाबाद।

FORM-19

[Sub-rule (1) of Rule 27]

Declaration by Appropriate Government/Collector

[Under sub-section (1) of Section 19 of the Act]

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

Notification no. 765 /VIII-A.Ji.A.(Bhu.A.)/RRTS/Ghaziabad

Dated Ghaziabad, October 29, 2025

WHEREAS preliminary notification no. 735 /VIII-A.Ji.A.(Bhu.A.)/RRTS/Ghaziabad, Dated October 30, 2024 was issued under sub-section (1) of Section 11 of Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, in respect of 2.3027 hectares of land in village Duhai, Pargana Jalalabad, Tehsil Ghaziabad, District Ghaziabad is required for public purpose, namely under Delhi-Meerut RRTS Corridor project for the connecting road on Duhai depot and Duhai station for service road through National Capital Region Transport Corporation and lastly published on dated November 5, 2025 in news paper Dainik Jagran and Amar Ujala. The English version of the preliminary notification dated October 30, 2024 was amended on January 13, 2025, and this amendment was published in news paper Dainik Jagran and Amar Ujala on January 14, 2025. The Deputy Collector / Assistant Collector Ghaziabad was appointed as Administrator for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of the project affected families.

2. After considering the report of the Collector submitted in pursuance to the provision under sub-section (2) of the Section 15 of the Act, the Governor is pleased to declare under section 19 (1) of the Act that he is satisfied that the area of the land mentioned in the given Schedule "A" is needed for the public purpose.

3. The Governor is further pleased under sub-section (2) of Section 19 of the Act, to direct the Collector of District Ghaziabad to publish a summary of the Rehabilitation and Resettlement Scheme with publication of the declaration to this effect. The summary of Rehabilitation and Resettlement Scheme is attached herewith.

SCHEDULE-A

(Land under proposed acquisition)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area to be Acquired (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Ghaziabad	Ghaziabad	Jalalabad	Duhai	66	0.2980
				68	0.1052
				69	0.0550
				77	0.4870
				78	0.1417
				84	0.5763
				130	0.0453
				131	0.0310
				132	0.0456
				137	0.0709
				138	0.1217
				139	0.0042
				140	0.0511
				141	0.0770
				161	0.1234

1	2	3	4	5	6
Ghaziabad	Ghaziabad	Jalalabad	Duhai	217	0.0001
				315 / 1502	0.0184
				316	0.0129
				327	0.0284
				328	0.0055
				528	0.0040
				Total	2.3027

SCHEDULE-B
(Land identified as settlement area for displaced families)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Earmarked for Rehabilitation (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
-- Not Applicable --					

NOTE:-A plan of land may be inspected in the office of the Collector for the purpose of acquisition.

By order,
RAVINDR KUMAR MANDAR,
Appropriate Government/ District Collector,
Ghaziabad.

NOTIFICATION OF DECLARATION BY COLLECTOR

[Under Sub-section (2) of Section 19 of the Act]

By the order of declaration made under Government notification no 735 /VIII-A.Ji.A.(Bhu.A.)/RRTS/Ghaziabad, Dated October 30, 2024, 2.3027 hectares of land in village Duhai, Pargana Jalalabad, Tehsil Ghaziabad, District Ghaziabad is required for public purpose, namely under Delhi-Meerut RRTS Corridor project for the connecting road on Duhai depot and Duhai station for service road through National Capital Region Transport Corporation, I hereby published the declaration made therein summary of Rehabilitation and Resettlement Scheme along with Government notification, a summary of the Rehabilitation and Resettlement Scheme is given below:

Delhi-Meerut RRTS Corridor project for the connecting road on Duhai depot and Duhai station for service road would bring economic growth in the region and employment opportunities to the inhabitants would enhance. Also the traffic congestion between the National Capital and Nodal Cities would reduce to improve the overall environment of the area.

For this project, approximately 2.3027 hectares of land will be acquired in village Duhai, Tehsil Ghaziabad, District Ghaziabad, which is expected to affect around 94 families, out of which 10 families may face residential or commercial displacement. The construction of this project will ensure the continuous availability of an affordable, reliable, safe and seamless transportation system within the urban cluster of Delhi, Ghaziabad and Meerut. It will help reduce accidents, pollution, travel time, energy consumption and antisocial incidents. The project will also help regulate urban development and land use for sustainability and regional growth and is important for the planned development of efficient movement of people and goods within the NCR (National Capital Region). For the project affected families, R&R draft scheme has been prepared. The salient features of the Resettlement and Rehabilitation scheme are as follows:—

- The compensation for land and assets attached with it would be evaluated and distributed as per Schedule-1 and other provisions laid down under RFCTLARR Act, 2013.
- The Rehabilitation and Resettlement assistance would be paid as per the provisions of Schedule-2 of the RFCTLARR Act, 2013.
- One time payment of Rs.5,00,000/- in lieu of Job/annuity to each affected family.
- One time resettlement allowance of Rs.50,000/-to each affected family.
- One time allowance @ Rs.25000/- per family for reconstruction of shop, who lost their shop due to acquisition.
- One time transportation allowance @ Rs.50,000/- per displaced family.
- Subsistence grant of Rs.3000/- per month for a period of 12 months to all displaced families.

- 1.The implementation of the Rehabilitation and Resettlement Scheme will be completed within 18 months.
2. The plan for the land may be inspected in the office of the collector for the purpose of land Acquisition.

By order,

RAVINDR KUMAR MANDAR,

*Appropriate Government/District Collector,
Ghaziabad.*